न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 3782 / 2003 / भरतपुर

बल्ला पुत्र दौली (मृतक) जरिये वारिसानः–

1– भजनलाल पुत्र बल्ला
2– गिर्राजसिंह पुत्र बल्ला
3– रूपसिंह पुत्र बल्ला
4– किरणदेवी पुत्र बल्ला
5– कश्मीरा पुत्री बल्ला
6– पुष्पा पुत्री बल्ला
7– भगवानदेई पुत्री बल्ला
समस्त निवासी ग्राम तूहिया तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– जुगलसिंह पुत्र रामूराम
2– रणवीर पुत्र रामूराम
3– खेमसिंह पुत्र रामूराम
4– देवीसिंह पुत्र रामूराम
5– जगनसिंह पुत्र रामूराम
6– रामगोपाल पुत्र रामूराम
समस्त जाति जाट निवासी तूहिया तहसील व जिला भरतपुर।
7– मोती पुत्र चेता
8– केदार पुत्र चेता
9– रामवीर पुत्र चेता
समस्त निवासी उपतेला तहसील व जिला भरतपुर।
10– हरीराम पुत्र रणवीर
11– दिनेश पुत्र रणवीर
12– सुरेन्द्र पुत्र रणवीर
13– रामभरोसी पुत्र नत्थी
14– जयपाल पुत्र शिवगणेश
15– गंभीर पुत्र शिवगणेश
समस्त निवासीगण तूहिया तहसील व जिला भरतपुर।
16– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थित :
श्री रमजान मोहम्मद, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6
श्री जे.के. पंत, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 14 व 15

दिनांकः– 11–11–2025

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–6–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई मुख्यालय भरतपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम तुहिया तहसील व जिला भरतपुर की आराजी साबिक खसरा नम्बर 651 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 657 रकबा 16 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 657 मि. रकबा 15 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 665, 666, 667, 678 व 681 कुल किता 5 रकबा 87 ऐयर बने हैं। इन खसरा नम्बरान को प्रतिवादी संख्या 1 रामजीत के पिता पूरना, प्रतिवादी संख्या 2 रामभरोसी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता शिवगणेश ने वादी के पिता रामूराम को जमींदारी उन्मूलन अधिनियम से पूर्व हमेशा के लिए काश्त पर बता दिया था और तभी से वादीगण का उनके पूर्वज के समय से इस पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण धारा 19 एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 29 के तहत खातेदार हो गये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 रामजीत ने वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 665, 666, 667 बाबत एक बयनामा दिनांक 19–10–1983 को अपीलार्थी प्रतिवादी बल्ला के हक में गलत प्रकार से कर दिया गया जिसके आधार पर अपीलार्थी ने रिकॉर्ड में अपने नाम अंकन करवा लिया है। अतः वादीगण का दावा डिक्री कर उन्हें वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर बयनामा को बेअसर व शून्य घोषित किया जावे।

3— विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नदबई ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। अपीलार्थी प्रतिवादी बल्ला पुत्र डोली तथा रामजीत ने न्यायालय में उपस्थित होकर अस्वीकारोक्ति आशय का जबाब दावा पेश किया। प्रत्यर्थी संख्या 13, 14 व 15 प्रतिवादीगण रामभरोसी तथा जयपाल, गम्भीर पुत्रान शिवगणेश ने इकबालिया जवाब दावा पेश किया। विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नदबई ने राजस्व रिकार्ड, दावे व जवाब दावे के आधार पर अनुतोष सहित कुल 6 तनकीयात कायम कर बाद साक्ष्य सुनवाई वादीगण का वाद निर्णय दिनांक 05—01—2001 द्वारा खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर न्यायालय में प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21—06—2003 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का निर्णय खारिज कर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21—06—2003 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी प्रतिवादी बल्ला द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

4— उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात व साक्ष्यों का पूर्ण विश्लेषण करते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया था, जबकि अपीलीय न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये निर्णय दिया गया है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी रामभरोसी, जयपाल सिंह व गम्भीर सिंह ने अपीलार्थी को नुकसान पहुॅचाने की गरज से प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 वादीगण के हक में इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया था, जो अपीलार्थी के अधिकारों के प्रति शून्य व बेअसर था। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता मृतक राम बाबू एवं उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान का कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। वाद मात्र असत्य व निराधार कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसे विचारण न्यायालय ने विधिसम्मत रूप से खारिज किया था। प्रतिवादी संख्या 1 रामजीत लाऔलाद फौत हुआ है जिसका कोई वारिस नहीं है, फिर भी अपीलीय न्यायालय ने अपने अधिकार क्षैत्र से परे जा कर अन्य व्यक्तियों के वारिसान को रामजीत का वारिस बता कर रिकॉर्ड पर लेने की कानूनी त्रुटि कारित की है। सम्वत

2001 से 2014 की जमाबन्दी में अपीलार्थी के खातेदारी अधिकारों का इन्द्राज हो रखा है तथा इस आधार पर विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध निर्णीत की थी। उक्त तनकी पर निर्णय को अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है। जमाबन्दी प्रदर्श डी–1 सम्वत 2001 से 2014, प्रदर्श डी–3 सम्वत 2027 से 2030 व प्रदर्श डी–4 सम्वत 2034 से 2037 की जमाबन्दी में सम्पूर्ण इन्द्राज अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 13, 14 व 15 तथा उनके पूर्वजों के नाम हैं। अपीलार्थी खसरा नम्बर 651 रकबा 16 एयर का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये खातेदार काश्तकार काबिज है। विद्वान अभिभाषक का अभिकथन है कि जब पर्याप्त साक्ष्य एवं संबंधित राजस्व अभिलेख रिकॉर्ड पर उपलब्ध हों तो अपील रिमाण्ड नहीं की जाकर निर्णीत की जानी चाहिए। अपीलीय न्यायालय ने उक्तानुसार आदेश 41 नियम 23 सीपीसी के प्रावधानों की अनदेखी कर प्रकरण रिमाण्ड करने में त्रुटि कारित की है। अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 को शिकमी तथा कब्जा काश्त मानते हुये अपील स्वीकार की है, जो कि साक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 1999 ए.आई.आर (एस.सी) पेज 1125, 2009 (16) आरबीजे पेज 619 एवं 2010 (2) आरआरटी पेज 989 नजीरें पेश की।

6– विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 665, 666, 667, 678 व 681 कुल किता 5 रकबा 87 ऐयर प्रतिवादीगण ने वादीगण के पिता रामू को जमींदारी उन्मूलन अधिनियम से पूर्व ही हमेशा के लिए काश्त पर दे दी थी और तभी से वादीगण का उनके पूर्वज के समय से इस पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत 2019 में वादीगण के पिता रामबाबू का नाम शिकमी दर्ज है तथा इसके पश्चात के राजस्व रिकॉर्ड, सेटलमेंट खसरा पत्रक में भी रामू की काश्त व शिकमी हैसियत दर्ज रही। प्रस्तुत साक्ष्यों से यह स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने इन पर गौर नहीं किया। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने विवेचन में इन सभी की व्याख्या करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित नहीं होना मान इसे अपास्त किया गया है। भरतपुर जिले में बिस्वेदारी प्रावधानों के प्रचलन था। वादीगण के पिता के मृत्यु के बाद वादीगण का इस पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादी रामभरोसी, जयपाल सिंह व गम्भीर सिंह ने वादीगण के हक में ईकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया है तथा अपील में रामजीत के वारिसान ने भी ईकबालिया जवाब पेश किया है। वादीगण का प्रकरण अभिलेख एवं विधिक प्रावधानों अनुसार धारा 19 एएए के तहत खातेदारी अधिकारों हेतु

बखूबी साबित था, जिसके आधार पर अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को सही खारिज करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः निर्णीत करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों व साक्ष्यों का पूर्ण परीक्षण नहीं कर निर्णय दिया जाने से अपील में प्रकरण प्रतिप्रेषण किया जाना ही विधिसम्मत है। अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों व साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण कर निर्णय किया है, जो कि सही होकर इस निर्णय में क्षेत्राधिकार, तथ्यपरक तथा विधिक आधार पर कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जावे।

7— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ दोनों न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रेकॉर्ड का भी गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

8— प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 वादीगण द्वारा अपने दावे में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तथा उनके पूर्वज द्वारा विवादित भूमि जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण के पिता रामूराम को काश्त पर दे देने, भूमि पर तब से लगातार उनका ही कब्जा काश्त चला आने तथा उक्तानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त होना जाहिर कर प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित करने की मांग की गई है। उनके पक्ष अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 रामजीत ने भूमि पर बिना कब्जा अधिकार अपने चाचा अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 5 बल्ला के पक्ष में विक्रय पत्र सम्पादित करवाया जो कि वादीगण के मुकाबले प्रभावशून्य है। दावे में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया तथा शेष दोनों प्रतिवादीगण के जवाब दावे व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर विचारण न्यायालय ने 5 विवाद्यक कायम कर साक्ष्य लेने उपरांत निर्णय दिनांक 05—1—2001 द्वारा दावा खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6 वादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय में रामजीत के कुछ वारिसान द्वारा भी अपील को स्वीकार किये जाने का पक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना कर आदेश दिनांक 21—6—2003 से अपील अंशतः स्वीकार कर प्रकरण साक्ष्य सुनवाई उपरान्त पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।

9— विचारण न्यायालय ने निर्णय में केवल साबिक नम्बर 657 को ही रामूराम को काश्त पर दिया जाना व पूर्ण भूमि पर वादीगण का आधार सिद्ध नहीं होना माना है। इस क्रम में दस्तावेजी साक्ष्यों अनुसार अपीलीय न्यायालय का यह विवेचन विस्तृत तथा तथ्यपरक है जिसमें जमाबन्दी सम्वत 2019—22, जमाबन्दी सम्वत 2027—30, सम्वत 2034—37 व सेटलमेन्ट खसरा पत्रक में रामू की काश्त तथा शिकमी प्रविष्टि के अंकन को वादीगण के पुराने कब्जे के समर्थन में महत्वपूर्ण माना गया है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय में इन इंद्राज का विश्लेषण नहीं किया जाने से उनके निर्णय को स्पष्ट व परिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता। उनके द्वारा निर्णय में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के इकबालिया जवाब दावे तथा इसके दावे पर प्रभाव पर भी कोई विवेचन न कर निर्णय दिया जाने से हमारा सुविचारित मत है कि राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित करने के निर्णय में कोई हस्तक्षेप योग्य त्रुटि नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 रामजीत की लाऔलाद मृत्यु पर परिवार में भाईयों/उनके पुत्रों के आवेदन पर निर्णय दिनांक 06—4—2002 द्वारा दोनों पक्षों को सुनने उपरांत वारिस कायमी आवेदन स्वीकार किया गया है। अपीलार्थी की इस निर्णय के विरूद्ध आपत्ति में हम कोई सारवान आधार होना नहीं मानते हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन पर हमारा विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण की तथ्यगत स्थिति के परिपेक्ष में प्रस्तुत नजीरें इसमें चस्पा नहीं होती हैं।

10— अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर न्यायालय का प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निर्णय दिनांक 21—06—2003 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष